तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अयूब बनाम जरीना** **479/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00095)**	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की तामी[illegible] जारी हुए
22.03.18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थिन नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2002 से विचाराधीन चल रहा है तथा अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(राजेश्वर सिंह)** संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	